reviewed in the meetings of the District Level Consultative Committee and State Level Bankers Committee.

Any complaint relating to the negative attiutde of the banks and alleged corruption in releasing the sanctioned funds timely to the beneficiaries are looked into by the concerned banks, Reserve Bank of India and Government for remedial action.

इलाहाबाद में आयकर संबंधी छापे

3461. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों की कुल संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या है, जिनके परिसरों पर छापे मारे गये थे;

(ख) छापों में विभिन्न व्यक्तियों के यहां से क्या-क्या वस्तुएं और परिसंपत्तियां जब्त की गई; और

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा आगे और क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग): इस अवधि के दौरान 50 तलाशियां ली गई थीं, जिनका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है **(नीचे देखिये)** इन तलाशियों के दौरान अभिगृहीत की गई सामग्री पर आगे अनुवर्ती कार्यवाही करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

उस व्यक्ति / ग्रुप का नाम जिसकी तलाशी ली गई थी	मूल्यवान वस्तुओं का अभिग्रहण			
	हाथ में अथवा बैंक में नकदी	जेवर-जवाहिरात	अन्य	कुल
श्री एच० रमैया	354.77	—	—	354.77
मैसर्स रतन एंड कम्पनी	—	—	—	—
आर० पी० गुप्त, टी० आर० गुप्त, एल० एम० गुप्त एंड संस	12.13	1.50	14.05	27.68
श्री किशन लाल	0.22	1.82	—	2.04
कुल:	367.12	3.32	14.05	384.49

Statutory provision to safeguard interest of share holders

3462. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that share market in the country is not controlled by any statutory provisions in order to safeguard the interest of shareholders thus making them easy target of financial fraud; and

(b) if so, whether Government propose to bring a legislation in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b). With a view to protect the interest of the investors in securities, the Securities and Exchange Board of India Ordinance 1992 was promulgated on 30th January, 1992. The functions of SEBI, *inter-alia*, include regulation of business in stock exchange and various intermediaries associated with securities market as well as prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities market.